5772

संख्याः /1/2005-04(1)/27/05

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला बैंक अनुभाग,
उत्तरांचल शासन।

ऊर्जा विभाग,

देहरादूनः दिनांकः 7 नवम्बर, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा 14–15 दिसम्बर, 2005 को सेमिनार आयोजन पर व्यय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 4127/I/2005-04(1)/27/05 दिनांक 29.08.2005 द्वारा रिटेनरशिप पर विशेषज्ञ सेवायें प्राप्त करने हेतु अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत मद संख्या 16–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रु0 13.55 करोड़ एवं मद संख्या 42–अन्य व्यय में रु0 15.00 लाख की धनराशि इस शर्त पर आपके निर्वान पर रखी गई थी कि ऊर्जा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार मदवार धनराशि भुगतान के आदेश निर्गत करेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मद संख्या 16 में से रु0 3,00,000.00 (रु0 तीन लाख मात्र) की धनराशि विद्युत निरीक्षक, उत्तरांचल शासन, हल्द्वानी (नैनीताल) को एफिशिएन्सी डिमान्ड साईड मैनेजमेंट एवं क्लीन डवलपमेंट मैकेनिज्म (सी0डी0एम) विषय पर सेमीनार पर व्यय हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा प्राप्ति रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

5772

संख्याः /1/2005-04(1)/27/05, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून को दो प्रति सहित।
3– निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– विद्युत निरीक्षक, उत्तरांचल शासन, हल्द्वानी (नैनीताल)
5– वित्त अनुभाग–2,
6– ग्रन्थारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव